भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 191**

(जिसका उत्तर 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है)

**बैंक ऋणों का अधिस्थगन**

191. श्री दिलीप शइकीया:
श्री बैन्नी बेहनन:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
प्रो. सौगत राय:
श्री अब्दुल खालेक:
श्री थोमस चाज़िकाडन:
एडवोकेट ए. एम. आरिफ:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न बैंकों द्वारा अगस्त, 2020 तक दिए गए व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट ऋणों और चल रहे ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में कोविड-19 महामारी के कारण बैंकों और अन्य ऋणदाताओं के ऋण अधिस्थगन को बढ़ाने के लिए कोई निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने लोगों ने ऋण भुगतान पर ऋण अधिस्थगन का लाभ उठाया है;

(घ) क्या बैंक अधिस्थगन अवधि के बाद चक्रवृद्धि ब्याज वसूलते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या सरकार ने देश में वर्तमान कोविड-19 संकट के दौरान कृषि, लघु उद्योग, शिक्षा और स्वयं सहायता समूह ऋण सहित विभिन्न ऋण अदायगी पर ब्याज माफ करने का कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त ऋणों की अधिस्थगन अवधि बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (च): सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

***